जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात   दिनांक 09.05.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 92/2025 धारा 305 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को चोरी किये गये सामान सहित किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 08.05.2025 को वादी इरफान पुत्र बुन्दू शाह निवासी ग्राम गनौरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त सरफराज उर्फ सर्फू पुत्र मुकीम उर्फ मोखा शाह निवासी ग्राम गनोरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने वादी के घर से उसका मोबाइल फोन व चार्जर, एक सोने की अगूंठी और एक जोड़ी पायल चोरी कर लिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 92/2025 धारा 305 बी0एन0एस0 बनाम सरफराज पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 09.05.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सरफराज उर्फ सर्फू पुत्र मुकीम उर्फ मोखा शाह निवासी ग्राम गनोरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सरफराज उर्फ सर्फू पुत्र मुकीम उर्फ मोखा शाह निवासी ग्राम गनोरा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

चोरी किये गया मोबाइल फोन व चार्जर, एक सोने की अगूंठी,एक जोड़ी पायल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र गिरि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2.हे0का0 143 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3.का0 2024 मुकम्मिल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शिवाला कलां दिनांक 09.05.2025

स्वाट/सर्विलांस व थाना शिवाला कलां पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर फिरौती के लिये हत्या करने वाले 05 अभियुक्तगणों को पुलिस मुठभेड में किया गिरफ्तार। अभियुक्तगणों के कब्जे से अवैध शस्त्र, मोबाइल फोन आदि बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

अवगत कराना है कि वादी श्री दीपक कुमार निवासी ग्राम हुसैनपुर कलां ने थाना शिवाला कलां पर दिनांक 07.05.2025 को तहरीर दी कि उसका पुत्र आयुष (14 वर्ष) दिनांक 06.05.2025 को समय 13.30 बजे घर से बिना बताये कही चला गया था, जो वापस नहीं आया। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल दिनांक 07.05.2025 को समय 15.18 बजे थाना शिवाला कलां पर अपहरण का अभियोग (मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2) बीएनएस) पंजीकृत कर अपहृत बच्चे की बरामदगी हेतु टीम बनाई गयी।

उपरोक्त घटना की गंभीरता के दृष्टिगत थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा आयुष उपरोक्त की शीघ्र बरामदगी हेतु तत्परता से कार्यवाही आरंभ की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा विभिन्न संभावित स्थलों पर तलाशी अभियान चलाया गया तथा तकनीकी एवं मानव स्रोतों के माध्यम से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए।

कार्यवाही का विवरण -

थाना शिवाला कलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2) में थाना शिवाला कलां व स्वाट/सर्विलांस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित आयुष की उसके नजदीकी लडको द्वारा ही उसकी हत्या की है तथा उसके शव को जंगल ग्राम इमलिया में गड्डे में दबाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना शिवाला कलां व स्वाट/सर्विलांस टीम जंगल ग्राम इमलिया पहुंची तथा वहां पर मौजूद लोगो को घेराबंदी कर पकडने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिसकी एक गोली प्रभारी निरीक्षक शिवाला कलां की बुलेट प्रुफ जाकेट में लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो एक अभियुक्त के पैर में गोली गली, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर मौजूद अन्य 04 अभियुक्तगणों को भी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही खेत से गुमशुदा आयुष उपरोक्त का शव भी बरामद किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा घायल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया तथा मृतक आयुष के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया गया।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम अनिकेत पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम हुसैनपुर कलां थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर बताया तथा अपने अन्य साथियो का नाम अनमोल पुत्र संजीव, आकाश पुत्र दिनेश निवासीगण ग्राम इमलिया थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर, नकुल पुत्र नरेश सैनी, उमेश पुत्र उदेश निवासीगण ग्राम हुसैनपुर कलां थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 04 मोबाइल फोन व गड्डा खोदने के लिये एक फावडा बरामद किया गया। इस संबंध में थाना

शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 68/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि उनके द्वारा पूर्व में बनाई गयी योजना के अनुसार दिनांक 06.05.2025 को मृतक आयुष के मित्र ने उसे बुलाया तथा आयुष को घर से रुपये की मांग के विषय में बताया और योजना में सम्मिलित होने के लिये कहा गया तथा उसके बदले में आयुष को कुछ रुपये देने की बात कही गयी। आयुष के मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा आयुष की दिनांक 06.05.2025 को ही हत्या कर दी गयी। अभियुक्तगण में एक अभियुक्त मृतक का दूर का रिश्तेदार तथा एक मित्र है। दिनांक 07.05.2025 को आयुष के दूर के रिश्तेदार की इंस्टाग्राम आईडी पर रुपयो की मांग की गयी और अगले दिन स्थान बताने के विषय में बताया गया। इस संबंध में तत्काल फेसबुक से समन्वय स्थापित कर इंटाग्राम आईडी की डिटेल प्राप्त की गयी। पुलिस टीम द्वारा इंस्टाग्राम आईडी की डिटेल को ट्रेक करते हुये दिनांक 08.05.2025 को जब अभियुक्तगण आयुष का शव छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे तभी पुलिस टीम द्वारा इन्हे मुठभेड में गिरफ्तार किया गया है।

इस संबंध में थाना शिवाला कलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/25 में धारा 191(2)/190/103(1)/238/140(2) बीएनएस की वृद्धी की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- अनमोल पुत्र संजीव निवासी ग्राम इमलिया थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

2- आकाश पुत्र दिनेश निवासी ग्राम इमलिया थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

3- अनिकेत पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम हुसैनपुर कलां थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

4- नकुल पुत्र नरेश सैनी निवासी ग्राम हुसैनपुर कलां थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

5- उमेश पुत्र उदेश निवासी ग्राम हुसैनपुर कलां थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1- एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

2- 01 फावडा गडडा खोदने के लिये।

3- 04 मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनमोल उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2)/191(2)/190/103(1)/238/140(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 68/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकाश उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2)/191(2)/190/103(1)/238/140(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 68/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनिकेत उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 443/21 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 662/24 धारा 3/9/25 आयुध अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2)/191(2)/190/103(1)/238/140(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 68/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नकुल उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2)/191(2)/190/103(1)/238/140(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 68/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उमेश उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 67/25 धारा 137(2)/191(2)/190/103(1)/238/140(2) बीएनएस थाना शिवाला कलां बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 68/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम का विवरण –

1- श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, प्रभारी निरीक्षक थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

2- श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर।

3- श्री नरेशपाल सिंह, निरीक्षक अपराध थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

4- श्री विकास कुमार, प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।

5- उ0नि0 संजयपाल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

6- उ0नि0 दीपक कुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

7- उ0नि0 अजित सिंह थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

8- उ0नि0 तनवीर अहमद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

9- मुख्य आरक्षी राजेन्द्र थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

10- मुख्य आरक्षी राहुल थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

11- आरक्षी हरित थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

12- आरक्षी विष्णु शर्मा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

13- आरक्षी मनोज थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात दिनांक 09.05.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गिरफ्तार। अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध शस्त्र तथा गौवंशीय पशु के अवशेष तथा घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल व पशु काटने के उपकरण आदि बरामद।

<u>कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण -</u>

जनपद में चलाये जा रहे गौकशी व वांछित अभियुक्तगण व चेकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 08/09.05.2025 की रात्रि गस्त व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति ग्राम सैदपुरी थाना किरतपुर व ग्राम थेपुर कोतवाली देहात के मध्य नहर पुलिया के पास जंगल में गौवंशीय पशुओ को काटने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तथा अभियुक्तगण की घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमें दो अभियुक्तगणो के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा इनका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल अभियुक्तगणो ने अपना नाम 1- मोमीन उर्फ मोबीन पुत्र नसीम निवासी सराय डडुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 2- नबील पुत्र नसीम निवासी सराय डडुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर बताया। जिनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अपने अन्य फरार साथी का नाम शकील उर्फ बूचा पुत्र नसीम निवासी सराय डडुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर बताया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

अभियुक्तत नबील उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1 खोखा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त मोबीन उर्फ मोमीन उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर व 1 खोखा कारतूस 12 बोर व 01 मोटर साईकिल हीरो स्पेलेण्डर प्रो नं0 UP20AF-6383 तथा गौवशीय पशु के अवशेष, पशु काटने के उपकरण(01 छुरी, 02 कुलाडी, एक लकडी का गट्टा आदि) व 02 मोबाईल फोन बरामद किये गये। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि वे दोनो अपने तीसरे फरार साथी के साथ मिलकर घुमन्तु गौवशीय पशुओं को जंगल से पकडकर ले जाते है तथा रात्रि में मौका पाकर उनको काटकर उनका मांस बेच देते है तथा गौवंशीय अवशेषो को छिपाकर इकट्ठा करके नष्ट कर देते है।

उल्लेखनीय है कि मोमीन उर्फ मोबीन थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 113ए है, जिसके विरुद्ध गौवध अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट आदि के करीब 09 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- मोमीन उर्फ मोबीन पुत्र नसीम निवासी सराय डडुम्बर थाना कोतवाली देहात बिजनौर। **(हिस्ट्रीशीटर अपराधी)**

2- नबील पुत्र नसीम निवासी सराय डडुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

वांछित अभियुक्त का विवरण –

शकील उर्फ बूचा पुत्र नसीम निवासी सराय डडुम्बर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1. 01 तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. 01 तमन्चा 12 बोर व 01 खोखा कारतूस 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर।
3. गौवशीय अवशेष तथा पशु काटने के उपकरण।
4. मोटरसाईकिल नं0 UP20AF-6383 व 02 मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोमीन उर्फ मोबीन उपरोक्तः-

1. मु0अं0स0 215/2016 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 142/2017 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. मु0अं0स0 93/2018 धारा 420,467,468,471,413,414,34 भादवि थाना कोतवाली देहात बिजनौर।
4. मु0अं0स0 297/2019 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना को0देहात बिजनौर।
5. मु0अं0स0 122/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली देहात बिजनौर।
6. मु0अं0स0 266/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली देहात बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 124/2023 धारा धारा 3/11 पशु क्रुरता थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 343/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

9- मु0अ0सं0 135/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नबील पुत्र नसीम उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 140/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 142/2017 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना को0 देहात बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र गिरि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 अनिल राणा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 विक्रान्त कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 सौरभ कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
6. मुख्य आरक्षी कपिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
7. मुख्य आरक्षी सदाकत अली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
8. मुख्य आरक्षी संजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
9. आरक्षी विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
10. आरक्षी विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
11. आरक्षी निमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
12. आरक्षी अभय चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
13. आरक्षी भूपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर बिजनौर।